Form No. III

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 51/2009 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2009/00050

उनवान

1. श्रीमती रूकमणी विधवा गिर्राजप्रसाद
2. रमेशचन्द
3. लेखराज
4. भगवान सिंह
5. गिरधारी
6. पप्पू

(2–6) पुत्रान गिर्राज

(1–6) जाति माली निवासी ग्राम नगला सैंधली तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

7. अंगूरी पुत्री गिर्राज पत्नि हीरालाल जाति माली निवासी आबूरोड जिला सिरोही।
8. सावित्री पुत्री गिर्राज पत्नि रमेश चन्द जाति माली निवासी आबूरोड जिला सिरोही।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र हरवक्सा जाति माली निवासी नगला सैंधली तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर। (मृतक)
   - 1/1. सुफेदी वेवा लक्ष्मण
   - 1/2. अखैराम
   - 1/3. किशकेन्द्र

   (1/2–1/3) पुत्र लक्ष्मण; (1/1–1/3) जाति माली नि0 नगला सैंधली तहसील वैर हाल भुसावर।
   - 1/4. तारवती पुत्री लक्ष्मण पत्नि किशन जाति माली निवासी आबकारी मील कोठी, आबूरोड तहसील आबू रोड जिला सिरोही।
   - 1/5. सन्तो पुत्री लक्ष्मण पत्नि नन्दराम जाति माली निवासी आबकारी मील कोठी, आबूरोड तहसील आबू रोड जिला सिरोही।
2. रज्जन पुत्र हरवक्सा जाति माली निवासी नगला सैंधली तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर (मृतक)
   - 2/1. दीपचन्द
   - 2/2. जंगली

   (2/1–2/2) पुत्र रज्जन जाति माली निवासी नगला सैंधली तहसील वैर हाल भुसावर।
   - 2/3. उगन्ती पुत्री रज्जन पत्नि करन सिंह जाति माली निवासी मजाजपुर तहसील भुसावर।
   - 2/4. धन्नो पुत्री रज्जन पत्नि मोहर सिंह जाति माली निवासी मजाजपुर तहसील भुसावर।
   - 2/5. मलौदा पुत्री रज्जन पत्नि हरीराम जाति माली निवासी खेडी देवी सिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. किशन पुत्र हरवक्शा (मृतक)

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

Form No. III

फर्द अहकाम

3/1. पन्नीलाल
3/2. बाबूलाल
3/3. राजेन्द्र
3/4. बृजमोहन
} पिसरान किशनलाल जाति माली निवासी नगला सैंधली तहसील वैर हाल भुसावर जिला भरतपुर।

4. मुरारी
5. बदन
6. शिवदयाल
7. कमर सैन
} पिसरान बालकिशन जाति माली निवासी नगला सैंधली तहसील वैर हाल तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 28.07.2009 उनवानी गिर्राज बनाम लक्ष्मण मु0न0 372/04

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुनील कुमार गर्ग उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री लक्ष्मण कुमार शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 21.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 28.07.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2009 से वादी द्वारा मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान को तय समय सीमा में रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं करने के कारण दावा वादीगण जरिये अवैट में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि प्रकरण में वादी गिर्राज का देहान्त 31.10.2006 को हो गया था। मृतक गिर्राज़ के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही प्रार्थीगण रामप्यारी ने दिनांक 17.07.2008 को की गयी एवं यह दलील दी गयी कि प्रार्थीगण अशिक्षित ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, कि किसी पक्षकार की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करनी होती है। जैसे

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

ही उनके अभिभाषक ने अवगत करया कि मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान रिकार्ड पर लेने बाबतॅ कार्यवाही करनी है। अतः जानकारी की दिनांक से प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर दावा वादी जरिये अवैट में खारिज कर दिया। वादी अपीलाण्ट दावे का निस्तारण गुणावगुण पर कराने चाहते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिअनुसार निर्णय पारित करने प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। वादी अपीलाण्ट ने मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही तय समय सीमा में नहीं की गयी है। कानूनन किसी मृतक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही 90 दिवस में करनी होती है। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने करीब एक साल छः महीने बाद कार्यवाही की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से दावा वादीगण जरिये अवैट में खारिज किया गया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 व 9 के साथ देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2009 से वादी द्वारा मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान को तय समय सीमा में रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं करने के कारण दावा वादीगण जरिये अवैट में खारिज किया गया है। हम पाते हैं कि वादी/अपीलाण्ट अपने दावा के संचालन में घोर लापरवाह रहा है, उन्होंने मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही में असाधारण विलम्ब किया है व उसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नही किया है। परन्तु जब अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 पेश हो ही गया तो हमारे मत में योग्य अधीनस्थ न्यायालय को मात्र विलम्ब के तकनीकी आधार पर दावा खारिज करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होता। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुए दावा वादीगण तकनीकी बिन्दु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट को विलम्ब का दोषी माना है। जबकि विलम्ब के लिए कोस्ट से पूर्ति की जा सकती थी। अनेको न्यायिक नजीरो में यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि पक्षकार को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। परन्तु हम यह भी पाते हैं कि वादी/अपीलाण्ट अपने दावे के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकला। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। किन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट पॉच सौ रूपये कॉस्ट पर आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 28.07.2009 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में मृतक व्यक्ति के सभी विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना